न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
50 / 2021—वाद पत्र	23.07.2021	13.12.2022

उनवान

1— उदा पुत्र बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2— लाली पुत्री बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1— कमली पत्नी देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2— कालू पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3— किसन पिता देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4— गणेश पिता देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5— गमानी पुत्री धन्ना पत्नी जगदीश गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल बहेड़िया की झूपड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6-- गोदू पुत्र देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7— देउ पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8— नाराणी पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9— रामु पुत्री धन्ना गूर्जर पत्नी नारायण गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल पारनिया खेड़ा बड़ा महुआ के पास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10— रामेश्वर पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11— शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
12— तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अभिभाषक वादीगण

वाद पत्र : बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 188, 53 आरटीए

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :— ग्राम वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात आराजी सं0 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046 / 1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131 / 1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1136 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1139 रकबा 0.07 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 है0 कुल किता 17 रकबा 3.12 है0 ग्राम सालरिया खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया में स्थित है जो पुश्तेनी होकर पढी दर पीढी चली आ रही है। जमाबंदी में नंदू पुत्री धन्ना गूर्जर दर्ज रेकार्ड खातेदार का नाम अंकित है परन्तु वर्तमान में उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण सं0 02, 05, 09, 10 होकर प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित है। जमाबंदी में माना पुत्री धन्ना गुर्जर दर्ज रेकार्ड खातेदार के रूप में नाम अंकित है जो लाओलाद फोत हुयी है। माना पुत्र धन्ना गलत नाम अंकित है वास्तविक नाम माना पुत्री धन्ना है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह लाओलाद फोत हुयी है। इस कारण नन्दू पुत्री धन्ना और माना पुत्री धन्ना मृत्यु हो जाने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 11 के यहां कृषि आराजियता रहन होने से पक्षकार बनाया गया है और प्रतिवादी संख्या 12 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित आराजियात पुश्तैनी कृषि आराजियात है जो बन्ना और धन्ना दोनों

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

भाईयों के 1/2 – 1/2 हिस्से के आधार पर बन्ना के विधिक वारिसान वादीगण सं0 01 व 02 का उक्त वर्णित आराजियात सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा निहित है। शेष 1/2 हिस्सा धन्ना के विधिक वारिसान में निहित होता है। इस प्रकार वादीगण उक्त वर्णित आराजियात सम्पूर्ण में 1/2 हिस्से के बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। यह है कि वर्तमान में जमाबंदी के अनुसार धन्ना एवं देबी की मृत्यु के पश्चात उसकी संताने विधिक वारिसान भी खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड हो जाने से जमाबंदी में अधिक खातेदारों के नाम अंकन हो जाने से रेकार्ड की असुविध एवं मौके पर भी अधिक खातेदार उत्पन्न हो जाने से भौतिक रूप से खेतों पर वादीगण संख्या में 02 ही है परन्तु प्रतिवादीगण 10 एवं उनकी संताने अधिक संख्या हो जाने से खेतों पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है। जिससे वादीगण काफी परेशान रहते है और उन्हें रोज रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट एवं थाने के चक्कर लगाने पड़ते है इस कारण भी वादीगण को बंटवाड़ा कराने तुरन्त आवश्यकता हुयी है। मौके पर लड़ाई झगड़ा हाने से वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थाना कोटड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। जिससे वादी को बार बार थाने के चक्कर काटने पड़े है। बार बार बंटवाड़ा को लेकर एवं उसके हक हिस्से को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण से अपने हक हिस्से के बचाने के लिए थाने के चक्कर काटने पड़ते है परन्तु अभियुक्तगण प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से वादीगण से लड़ाई झगड़ा करते रहते है। इस कारण वादीगण को बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यता हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेकार्ड की सुविधा एवं रोज रोज के लड़ाई झगड़ा से भी अपनी कृषि आराजियात को सुरक्षित रखते हेतु वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद पत्र के पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात कुल किता 17 रकबा 3.12 है0 में से 1/2 हिस्से की बंटवाड़ा की डिक्री वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 के पारित की जावे जिसकी पालना प्रतिवादी सं0 12 से कराई जावे। वाद पत्र के पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात कुल किता 17 रकबा 3.12 है0 में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं 01 लगायत 10 के विरूद्ध फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं, नौकरों, ऐजेंटो व परिवार के सदस्यों एवं अन्य को पाबंद करावें की वादीगण को पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात से बेदखल न करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04, 06 लगायत 08, 10, 12 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवही की गयी। दिनांक 17.08.2021 को प्रतिवादी सं0 05, 11 बावदूज सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 09 की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी से करवाई गयी जिसकी एडी रसीद प्राप्त होने के बावजूद पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं0 09 के विरूद्ध दिनांक 12.10.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। अभिभाषक वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी सं0 01 एवं 02 के स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दिनांक 28.11.2022 को अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस हेतु निवेदन किये जाने से बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गयी एवं दस्तावेज पर प्रदर्श लगाये गये। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम सालरिया खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा संवत् 2074–2077 खाता संख्या 57 आराजी सं0 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046/1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131/1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1136 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1139 रकबा 0.07 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 है0 कुल किता 17 रकबा 3.12 है0 में वादीगण संयुक्त सह खातेदार दर्ज होकर प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण का सम्पूर्ण खाते में 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। अतः राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। जमाबंदी अनुसार आराजी नम्बर 1136 रकबा 0.06 है0 की किस्म गेमु0 पाल अंकित है जो प्रतिबंधित श्रेणी की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 1136 को छोड़कर शेष

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

सं0 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046/1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131/1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1139 रकबा 0.07 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 है0 कुल किता 16 रकबा 3.06 है0 की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम सालरिया खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा संवत् 2074–2077 खाता संख्या 57 आराजी सं0 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046/1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131/1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1139 रकबा 0.07 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 है0 कुल किता 16 रकबा 3.06 है0 में वादीगण के 1/2 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 1000/– रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। साथ ही आराजी नम्बर 1136 रकबा 0.06 है0 किस्म गेमु. पाल होने से पक्षकारान(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) के हक हिस्से अनुसार शामलाति रखा जावे। कमीशन राशि मौके पर वादीगण से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1– उदा पुत्र बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– लाली पुत्री बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
–वादीगण

बनाम

1– कमली पत्नी देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कालू पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– किसन पिता देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गणेश पिता देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– गमानी पुत्री धन्ना पत्नी जगदीश गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल बहेड़िया की झूपड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6– गोदू पुत्र देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– देउ पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– नाराणी पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– रामु पुत्री धन्ना गूर्जर पत्नी नारायण गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल पारनिया खेड़ा बड़ा महुआ के पास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10– रामेश्वर पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
12– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 188, 53 आरटीए

मुकदमा नम्बर 50 सन् 2021 राजस्व वाद
यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा वाके ग्राम सालरिया खुर्द प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में स्थित आराजियात 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046/1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131/1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1136 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 है0 कुल किता 16 रकबा 3.06 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है –

1– वादीगण उदा पिता बन्ना 1/2, लाली पुत्री बन्ना जाति गुर्जर 1/2 सादेह खातेदार रहन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा आकोला के नाम दर्ज की जावे–

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	918 में से	0.10 है0	बारानी	1.30
2.	1043	0.13 है0	चा. I	3.64
3.	1134 में से	0.08 है0	चा. I	2.24
4.	1135	0.06 है0	बीड	0.12
5.	1137 में से	0.39 है0	बीड	0.78

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज

6.	1147	0.03 है0	बीड	0.06
7.	1579 में से	0.14 है0	नहरी II	2.10
8.	1580	0.23 है0	नहरी II	3.45
9.	1584 में से	0.15 है0	नहरी II	2.25
10.	1585 में से	0.11 है0	नहरी II	1.65
11.	कुल किता – 10	1.42 है0	–	17.59

2– प्रतिवादीगण कमली पत्नी देबी 1/2 किशन, गणेश, गोदुलाल पिता देबी 3/12, देऊ, नाराणी पुत्री देबी 2/12, रामेश्वर, कालु, माना पिता धन्ना 3/12, गमानी नन्दु, रामु पिता धन्ना 3/12 गुर्जर सादेह रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा आकोला हिस्सा कालु का के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	918 में से	0.09 है0	बारानी	1.17
2.	1042	0.12 है0	चा. I	3.36
3.	1134 में से	0.13 है0	चा. I	3.64
4.	1130	0.04 है0	बीड	0.08
5.	1137 में से	0.40 है0	बीड	0.80
6.	1579 में से	0.25 है0	नहरी II	3.75
7.	1584 में से	0.10 है0	नहरी II	1.50
8.	1585 में से	0.19 है0	नहरी II	2.85
9.	1586	0.09 है0	नहरी II	1.35
10.	कुल किता – 09	1.41 है0	–	19.04

3– वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाति दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	1046/1899	0.04 है0	चा. I	1.12
2.	1131/1788	0.12 है0	बीड	0.24
3.	1136	0.06 है0	गेमु. पाल	–
4.	1139	0.07 है0	गेमु. आचा	–
5.	कुल किता – 4	0.29 है0	–	1.36

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज, नक्शे मे तरमीम की कार्यवाही करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्तानुसार वादीगण के हक हिस्से की भूमि से वादीगण को प्रतिवादीगण स्वयं, नौकरों, ऐजेण्टों व परिवार के सदस्यों एवं अन्य से बेदखल न करें न करावें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 28 माह 02 सन् 2024** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा